कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांक– 09 / सागर, दिनांक 23/01/2025

दिनांक– 22.01.2025 को केन्द्रीय जेल सागर का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि कई मामलों में जेल में निरूद्ध बन्दियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कई दिनों से विभिन्न न्यायालयों में नहीं हुई है, जिस कारण बन्दियों को अपने प्रकरणों की प्रगति की कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। बन्दियों के जेल वारंट का अवलोकन करने पर भी यह पाया गया है कि उनमें न्यायालयों में सुनवाई के लिये आगामी नियत दिनांक का उल्लेख भी नहीं था, जो अत्यंत आपत्तिजनक है।

अधीक्षक केन्द्रीय जेल के द्वारा यह अवगत कराया गया कि जेल वारंट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला स्थापना सागर को निर्देशित किया जाता है कि वे जेल में निरूद्ध बन्दियों के मामले में सुनवाई के लिये नियत प्रत्येक दिवस को जेल से बन्दी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करायें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपी के जेल से प्रस्तुत होने की दशा में उनके जेल वारंट न्यायालय में जेल अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें और उन पर आगामी सुनवाई के लिये नियत दिनांक का उल्लेख करते हुये जेल अधीक्षक को वारंट भेजना सुनिश्चित करें जिससे कि जेल में निरूद्ध बन्दी को उसके प्रकरण की प्रगति की जानकारी हो सके तथा जेल वारंट में आगामी नियत दिनांक की जानकारी जेल अधीक्षक एवं बंदी को हो सके।

sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सागर

P.T.O.

पृ. क्रमांक– 389 / सागर, दिनांक 23/01/2025

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त जिला न्यायाधीशगण/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड न्यायिक जिला सागर मुख्यालय सागर एवं बाह्य स्थान बण्डा, देवरी, रहली, गढ़ाकोटा, केसली, शाहगढ़, राहतगढ़, खुरई, बीना, मालथौन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(2) जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सागर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जेल में प्रत्येक बंदी के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रत्येक न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थिति करायी जाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक बंदी का जेल वारंट प्रत्येक न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) पुलिस अधीक्षक, सागर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जेल में बन्दियों के जेल वारंट प्रस्तुत करने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सागर
23/01/2025